न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर (बीकानेर)

समक्ष: अशोक कुमार आर.ए.एस

मु.नं. 134/2019 — निर्णय दिनांक 31/03/2022

सुनील कुमार कांवा पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी खेरसली तहसील व जिला चूरू हाल मुकाम वार्ड नं. 15 स्वामी मौहल्ला तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू

— वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर

— प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं सिर्फ दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 RTA व धारा 136 LRAc

निर्णय

प्रकरण के सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA व धारा 136 LRAct के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] ग्राम मलीसर तहसील लूनकरनसर के खाता नं. 6 खसरा नम्बर 197 की तादाद 8.27 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से वादी का नाम गलती से सुनील कुमार कांवा के स्थान पर अरविन्द कुमार दर्ज होने के [illegible] हो गया। वादी का वास्तविक नाम [illegible] के वक्त वादी की उम्र मात्र 2 वर्ष [illegible] घर के बोलते नाम से अरविन्द लिखवा दिया गया। वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 17:09:15 IST
Reason: SelfAttested

मैं नाम सुनीलकुमार [illegible] [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अरविन्दकुमार के स्थान पर सुनीलकुमार [illegible] की [illegible] करवाई जावे।

बाद दर्ज प्रकरण [illegible] अधिकारी को [illegible] जारी किये गये। अधिकारी [illegible] पर नाम इन्द्राज किये जाने पर [illegible] चाही थी।

वादी स्वयं की ओर से [illegible] रिकॉर्ड की छाया प्रति, [illegible] की छाया प्रतियां पेश की। स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। बैनामा की [illegible] प्रति पेश की। [illegible], [illegible] में वादी का नाम सुनील कुमार पिता का नाम [illegible] दर्ज है। बैनामा में अरविन्दकुमार अंकित है तथा इसी अनुसार रिकॉर्ड में अरविन्दकुमार चला आ रहा है।

रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान जमाबन्दी [illegible] के खाता संख्या 6 ग्राम [illegible] के ख.न. 197 [illegible] 8.27 हैक्टेयर में वादी का अरविन्द कुमार के स्थान पर सुनीलकुमार [illegible] दर्ज की जावे [illegible] उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति [illegible] निर्देश के साथ प्रेषित हो कि वादी से [illegible] Act धारा 35 के तहत 500/- [illegible] Judicial स्टाम्प जमा करवाने के पश्चात [illegible] निर्णय [illegible] पत्रावली [illegible] हो।

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 17:09:15 IST
Reason: SelfAttested